

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 102/2017

| अपीलान्त | बनाम | रेस्पोडेन्ट :- |
|--|------|---|
| 1. देवाराम पुत्र शिवराम, उम्र 40 व f 2. पोकरराम पुत्र शिवराम, उम्र 40 वर्ष जातिगण जाट निवासी लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली (राज.) |

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री श्याम सिंह सौलकी विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक:—24.9.18

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 44/2017 में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2017 एवं न्यायालय तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 361/2016 में पारित आदेश दिनांक 06/10/2016 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार जैतारण ने अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम लौटोती के खसरा नम्बर 92 रकबा 0.09 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 06.10.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 06.10.2017 को ही आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश विरुद्ध अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय द्वारा खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा।



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिससे व्यथित होकर उक्त अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की जांच नहीं की गई कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नहीं ? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सबूत ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस सम्बन्ध में न तो पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये तथा न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रदर्शित हुए। अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरुद्ध है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी उसे माना जाता है, जिसके विरुद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण चला हो। अपीलाण्ट के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नहीं चला था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 23.12.2016 के अनुसार "वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली पाई गई तथा अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं होना पाया गया" की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तथा उक्त मौका रिपोर्ट में यह कही भी अंकित नहीं किया गया कि जो तथाकथित अतिक्रमण हटाया गया है वह पश्चातवर्ती अतिक्रमण था। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित विभिन्न न्याय दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया कि "जब अपीलार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट किये गये अतिक्रमित स्थल से कब्जा हटाने बाबत रिपोर्ट पेश कर दी जाए अथवा इस सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावे तो अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित सजा के दण्डादेश को अपास्त किया जाना लाजमी है।" किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा किये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके पर जांच किये, केवल मात्र हल्का पटवारी की अपूर्ण रिपोर्ट के आधार जैर अपील निर्णय पारित किया है कि विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम लौटोती के खसरा नम्बर 92 रकबा 0.09 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कर ग्राम लौटोती के खसरा नम्बर 92 रकबा 0.09 बीघा किस्म



राजस्व अपील प्राधिकरण
पाली

गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का लौटोती द्वारा तहसीलदार जैतारण के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि देवाराम, पोकरराम पिसरान शिवजी, जाति जाट द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार जैतारण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 06.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह स्वयं अपीलाण्ट देवाराम से तामील करवाया गया है, उसके पश्चात देवाराम, पोकरराम द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 06.10.2016 की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। एवं उसके पश्चात जुर्माना आरोपित किया तथा आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर पाली के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। उक्त दोनों ही निर्णयों से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर परीक्षण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया गया, जबकि विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक अतिक्रमी/अप्रार्थी को व्यक्तिशः नोटिस जारी किया जाना ही विधि सम्मत है। इसी आशय का सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0डी0 1990 पेज 351 नाथू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित किया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है –

“Rajasthan Land Revenue Act, Section 91 -- Separate notices should have been served on each trespasser-- Where request is made for actual measurement of land alleged to have been trespassed upon, land should be measured before drawing conclusion whether trespass has occurred or not” इसके अतिरिक्त परीक्षण न्यायालय द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विधिवत माना है, जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण ही मौजूद नहीं था, जो जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करता हो तथा न ही ऐसी कोई शहादत उपलब्ध थी, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा दुबारा कब्जा किया हो, क्योंकि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि से अपीलाण्ट्स को पूर्व में बेदखल किया गया हो। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 1163 बजरंगा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह व्यवस्था प्रदान की है कि “सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के लिए तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक था कि पूर्व में आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल किया गया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली, उसके आदेश की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी रेकार्ड पर प्रस्तुत करने, उसके पश्चात् बेदखली के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी रेकार्ड पर लेते एवं उसके



राजस्व अपील प्राधिकरण
पाली

आधार पर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर सकते थे, बिना साक्ष्य के ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण किसी भी रूप में साबित नहीं होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2016 के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा "वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली पाई गई तथा अपीलांट का कोई कब्जा नहीं होना पाया गया ताईद किया है।" उक्त मौका रिपोर्ट में भी अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं है। अपीलांटगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.10.2016 को वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटाने के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित विभिन्न न्याय दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया कि "जब अपीलार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट किये गये अतिक्रमित स्थल से कब्जा हटाने बाबत रिपोर्ट पेश कर दी जाए अथवा इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावे तो अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित सजा के दण्डादेश को अपास्त किया जाना लाजमी है।" प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट एवं अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किये बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है। साथ ही रेस्पोंडेन्ट जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। इस कारण जैर अपील आदेश के जरिये परीक्षण न्यायालय एवं विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 361/2016 सरकार बनाम देवाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2016 में अपीलाण्ट्स के विरुद्ध बेदखली एवं शास्ती आरोपित करने के आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास का आदेश निरस्त किया जाता है। इसी अनुरूप न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपील संख्या 44/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2017 को भी आंशिक अपास्त किया जाता है। साथ ही अपीलांटगण को आगाह किया जाता है कि वह भविष्य में राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा न करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली